कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर (छत्तीसगढ़)

राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान परिसर
जीरो पाईंट, महालेखाकार के सामने, बलौदाबाजार रोड, रायपुर (छ.ग.)
E-mail- cfrpr@rediffmail.com

क्रमांक/तक.शा./एफ.सी.ए./9936 रायपुर, दिनांक 09/09/2024

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्र/व.(सं. एवं .सं.) अ)
छत्तीसगढ़ नवा रायपुर

विषयः– **Diversion proposal under the Forest Conservation Act, 1980 of a total of 3.786 ha f forest land for non - forestry wotk of laying underground optical fiber cable under Dhamtari Forest Division of Dhamtari district by jio Digital Fiber private Limited Raipur Chhattisgarh-reg.**

संदर्भः–1. आपका पृ. कमांक /भू–प्रबंध /विविध –ए/115–858/2048 दिनांक 20.08.2024

2. वनमंडलाधिकारी धमतरी वनमंडल धमतरी का पत्र कमांक/मा.चि./व.सं.अ./26/सी/1950 दिनांक 29.08.2024

————00————

विषयांतर्गत निवेदन है कि धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत सड़क के किनारे राईट ऑफ वे (ROW) अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु रकबा 3.786 हे. वन भूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव में संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र दिनांक 11.07.2024 के द्वारा प्रकरण में अंतिम चरण (औपचारिक) स्वीकृति जारी की गयी है।

अतः उक्त प्रकरण में संदर्भित पत्र 02 के माध्यम वनमंडलाधिकारी धमतरी वनमंडल धमतरी के द्वारा अंतिम चरण स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो का पालन प्रतिवेदन मय पृथक–पृथक वचन पत्रों सहित इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। उक्त प्रतिवेदन अवलोकन उपरांत अनुशंसा सहित आपके ओर 03 प्रतियों में आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न संप्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार। (पालन प्रतिवेदन)

मुख्य वन संरक्षक
रायपुर वृत्त, रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/तक.शा./एफ.सी.ए./9937 रायपुर, दिनांक 09/09/2024

प्रतिलिपि :–

1. वनमंडलाधिकारी धमतरी वनमंडल धमतरी की ओर संदर्भित पत्र 02 के तारतम्य मे सूचनार्थ अग्रेषित।
2. महाप्रबंधक (कार्पो अफेयर्स) जियो डिजीटल फायबर प्राईवेट लिमिटेड चतुर्थ तल अंबुजा मॉल विधानसभा रोड,मोवा (सड्डू) रायपुर (छ.ग.) सूचनार्थ अग्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक
रायपुर वृत्त, रायपुर (छ.ग.)

...र प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
नवा रायपुर, छत्तीसगढ़
आवक क्रं 20/1054
दिनांक 10/09/24

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, धमतरी वनमण्डल, धमतरी (छत्तीसगढ़)

☎ 07722-238371(O), 236137(Fax), E-mail – dfo-dhamtari.cg@gov.in

क्रमांक/मा.चि./व.सं.अ./26/सी/1950 धमतरी,दिनांक: 29 /08/2024

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
रायपुर वृत्त, रायपुर
छत्तीसगढ़

पावती

विषय :– आवेदनकर्ता मेसर्स महाप्रबंधक, जियो डिजीटल फाईबर प्रा. लिमिटेड रायपुर द्वारा धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल अंतर्गत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 3.786 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् व्यपवर्तन प्रस्ताव।

पंजीयन क्र. FP/CG/OFC/45153/2020 Date 27.05.2020

संदर्भः– 1. छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र क्रमांक/एफ 5–28/2022/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 11.07.2024

2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्र./व. (सं. एवं सं.) अ.) छ.ग. का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध–ए/115–858/2047 दिनांक 20.08.2024

3. आवेदक संस्थान महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स) जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड रायपुर (छत्तीसगढ़) का पत्र क्रमांक/जिडिफाप्रालि/ओएफसी/वनभूमि/स्टेज–2/2024 रायपुर, दिनांक 24.08.2024

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त
क्र. 402
दि. 30.08.2024
रायपुर (छ.ग.)

⊗⊗⊗

विषयांतर्गत आवेदनकर्ता मेसर्स महाप्रबंधक, जियो डिजीटल फाईबर प्रा. लिमिटेड रायपुर द्वारा धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल अंतर्गत सड़क के किनारे राईट ऑफ–वे (RoW) में भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 3.786 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् प्रस्तुत व्यपवर्तन प्रस्ताव में छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संदर्भित पत्र 1 के माध्यम से अंतिम चरण (औपचारिक) स्वीकृति जारी की गई है, जिसकी संसूचना अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्र./व. (सं. एवं सं.) अ.) छ.ग. के संदर्भत पत्र 2 के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। उक्त अंतिम चरण (औपचारिक) स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन आवेदक संस्थान द्वारा संदर्भित पत्र 3 के माध्यम से इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है।

छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जारी अंतिम चरण (औपचारिक) स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार हैः–

क्र.	अधिरोपित शर्त	पालन प्रतिवेदन
01	वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। इस आशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–01**
02	प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जाएगा तथा मार्ग परिवर्तित नहीं किया जाएगा ।	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। इस आशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–02**
03	ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु वृक्ष नहीं काटे जाएँगे।	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। इस आशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–03**

04	उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु खन्ति की अधिकतम चौड़ाई 0.50 मीटर तथा गहराई 1.65 मीटर होगी । वन्यप्राणी तथा बायोडायवर्सिटी को नुकसान न पहुँचे, इसे ध्यान में रखकर स्थानीय वनाधिकारी की निगरानी में खन्ति को खोदा तथा उपयोग उपरांत आवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर खन्ति को भरकर समतल किया जावेगा। यदि उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु Horizontal Directional Drilling method (HDD) पद्धति का उपयोग किया जाता है तो, उपयोग किये जाने वाली मशीन के परिवहन हेतु मौजूदा सड़क का उपयोग किया जावेगा तथा अन्य वन क्षेत्र का उपयोग प्रतिबंधित होगा। इस पद्धति के उपयोग में यह ध्यान रखा जाये कि वन क्षेत्र के फ्लोरा एवं फौना तथा Regeneration को क्षति न हो।	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। इस आशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–04**
05	स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदनकर्ता द्वारा वन मण्डलाधिकारी को पूर्व से सूचित किया जाएगा, ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हो सके तथा खोदे जा रही वनभूमि की क्षति को न्यूनतम रखा जा सके ।	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। इस आशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–05**
06	उपरोक्त लाईन, राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य प्राणी अभ्यारण्य के बाहर, सड़क के किनारे तथा मौजूदा सड़क की चौड़ाई के अन्तर्गत ही बिछाई जाएगी ।	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। इस आशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–06**
07	आवेदक संस्थान, उपयोग पश्चात् उपयोग किए गए भूमि का उपयोग/रखरखाव के खर्चे को वहन करने हेतु वचनबद्ध रहेगा ।	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। इस आशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–07**
08	आवेदक संस्थान, स्थानीय वन/पर्यावरण को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए वचनबद्ध रहेगा, अतः यथासंभवन वन/पर्यावरण को संरक्षित रखेगा ।	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। इस आशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–08**
09	आवेदक संस्थान रखरखाव का कार्य करने के पूर्व वन विभाग से अनुमति प्राप्त करेगा ।	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। इस आशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–09**
10	वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं कियाँ जावेगा ।	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। इस आशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–10**
11	प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन पर भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा प्रकरण को REC की बैठक दिनांक 19.05.2023 में विचारार्थ रखने के पश्चात् REC द्वारा दिये गये निर्देश जो भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र दिनांक 24.05.2023 के साथ संलग्न एजेण्डा क्रमांक 3 में वर्णित है । उक्त निर्देशों का पालन किया जाएगा ।	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। इस आशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–11**

12	वन भूमि के हस्तांतरण से पूर्व पर्यावरणीय अनुमति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागू होने वाले समस्त नियमों, विनियमों, दिशा–निर्देशों एवं शर्तो का पालन किया जाएगा ।	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। इस आशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। साथ ही आवेदक संस्थान द्वारा कलेक्टर जिला–धमतरी के द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत् जारी प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। **संलग्नक–12**
13	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम 1980)द्वारा प्रतिमाह की 5 तारीख के पूर्व राज्य शासन से जारी समस्त सामान्य अनुमोदन के प्रकरणों की रिपोर्ट भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रलय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर को प्रेषित करेंगे ।	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। इस आशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–13**
14	बिना भारत सरकार की अनुमति के वन भूमि का उपयोग बदलना, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जावेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलने की आवश्यकता हो, तो आवेदक संस्थान इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी तथा राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रलय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर को निवेदन करेंगे ।	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। इस आशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–14**
15	क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (Flora & Fauna) तथा पर्यावरण के संरक्षण/विकास हेतु समय–समय पर राज्य शासन या भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रलय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा अधिरोपित अन्य किन्हीं शर्तो के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा ।	उक्त शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। इस आशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। **संलग्नक–15**

उपरोक्तानुसार प्रकरण में जारी अंतिम चरण (औपचारिक) स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन अनुशंसा सहित आपकी ओर सम्प्रेषित है। कृपया प्रकरण में वन भूमि व्यपवर्तन की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध है।

संलग्नः– संदर्भित पत्र 3 की छायाप्रति एवं पालन प्रतिवेदन 04 प्रतियों में।

E-Despatch

वनमंडलाधिकारी
धमतरी वनमंडल धमतरी

पृ.क्रमांक/मा.चि./व.सं.अ./26/जी/4656

धमतरी,दिनांकः29/08/2024

प्रतिलिपि :– 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व. (सं. एवं सं.) अ.) अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।

2. महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स) जियो डिजीटल फायबर प्राईवेट लिमिटेड रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। प्रकरण में जारी प्रथम चरण स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन परिवेश पोर्टल में ऑनलाईन अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि पोर्टल में शासन स्तर से अंतिम चरण स्वीकृति का पत्र अपलोड किया जा सके।

वनमंडलाधिकारी
धमतरी वनमंडल धमतरी

क्रमांक / जिडिफाप्रालि / ओएफसी / वनभूमि / स्टेज–2 / 2024 रायपुर, दिनांक : 24.08.2024

प्रति,

वन मण्डलाधिकारी,
वन मण्डल धमतरी,
जिला – धमतरी (छत्तीसगढ़).

विषय : धमतरी जिले के धमतरी वन मण्डल अन्तर्गत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 3.786 हे. वन भूमि के वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत् व्यपवर्तन प्रस्ताव ।

संदर्भ : (1) छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र क्रमांक / एफ 5–28 / 2022 / 10–2 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 11.07.2024

(2) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वनबल प्रमुख, छत्तीसगढ का पत्र क्र / भू–प्रबंध / विविध–ए / 115–858 / 2047 नवा रायपुर, दिनांक 20 / 08 / 2024 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक (1) के माध्यम से छ.ग. शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा धमतरी जिले के धमतरी वन मण्डल अन्तर्गत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 3.786 हे. वन भूमि के वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत् वन भूमि उपयोग पर देने हेतु अंतिम चरण की स्वीकृति प्रदान की गई है। संदर्भित पत्र क्रमांक (2) के द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) के निर्देशानुसार अंतिम चरण स्वीकृति में उल्लेखित शर्तो के अनुरूप बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन मय वचन पत्र संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

क्रमांक	शर्ते	पालन प्रतिवेदन
01	वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।
02	प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जाएगा तथा मार्ग परिवर्तित नहीं किया जाएगा ।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।
03	ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु वृक्ष नहीं काटे जाऍगे ।	मान्य है एवं इस आशय का वचन पत्र संलग्न है ।

कार्यालय वनमंडलाधिकारी धमतरी (छ.ग.) प्राप्ति
दि-27/8/2024

4th Floor, Office BlocK, Office No.401-405, Ambuja Mall, Vidhansabha Road, Mowa (Saddu), Raipur (Chhattisgarh)-492014
Office Phone No. : 0771-3557701
Jio Digital Fibre Private Limited: CIN U64200GJ2018PTC105652
Registered Office: Office - 101, Saffron, Nr. Centre Point, Panchwati 5 Rasta, Ambawadi, Ahmedabad-380006, Gujarat, India.
Tel no: 079-35600100

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाषः 0771 – 2512840 **ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in**

क्र./भू–प्रबंध/विविध–ए/115–858/2047 नवा रायपुर, दिनांक 20/08/2024

प्रति,

वनमंडलाधिकारी
धमतरी वनमंडल, धमतरी
छत्तीसगढ़

विषय :– **आवेदनकर्ता मेसर्स महाप्रबंधक, जियो डिजीटल फाईबर प्रा. लिमिटेड रायपुर द्वारा धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल अंतर्गत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 3.786 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् व्यपवर्तन प्रस्ताव।**
– **पंजीयन क्रमांक/ FP/CG/OFC/ 45153/ 2020**

संदर्भः– छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ – 5–28/ 2022/ 10–2 दिनांक 11.07.2024

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय द्वारा दिनांक 11.07.2024 को प्रकरण में अंतिम चरण (औपचारिक) स्वीकृति जारी की गई है।

अतः संदर्भित पत्र में दर्शाये अनुसार अंतिम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन मय पृथक – पृथक वचन पत्रों सहित मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त के माध्यम से शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

अपूर्ण पालन प्रतिवेदन मान्य नहीं किया जावेगा।

संलग्नः– संदर्भित पत्र की छाया प्रति (10 पृष्ठीय)।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्र/व (सं. एवं सं.) अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध–ए/115–858/2048 नवा रायपुर, दिनांक 20/08/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **मुख्य वन संरक्षक**, रायपुर वृत्त, रायपुर, छत्तीसगढ़।
2. **महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)** ज़ियो डिज़ीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड चतुर्थ तल, अम्बुजा मॉल, विधानसभा रोड, मोवा (सड्डू), रायपुर (छ.ग.)।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार (10 पृष्ठीय)।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्र/व (सं. एवं सं.) अ)
छत्तीसगढ़

- 131 -OFC Line Letter 2024.doc

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ 5–28/2022/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर,दिनांक /07/2024

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं वन बल प्रमुख
छत्तीसगढ़, अरण्य भवन,
सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर।

विषयः– आवेदनकर्ता मेसर्स महाप्रबंधक, जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर द्वारा धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल अंतर्गत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 3.786 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

संदर्भः– 1.भारत सरकार, पर्यावरण, एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 16.10.2000 तथा पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 08.04.2009।
2.भारत सरकार, पर्यावरण, एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्र./F No.-5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 15.06.2004।
3.विभागीय पत्र क्रमांक एफ 5–28/2022/10–2, दिनांक 04.08.2023।
4.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध–ए/115–858/2317, दिनांक 04.10.2023 तथा पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध–ए/115–858/2531, दिनांक 08.11.2023।

––––000––––

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। संदर्भित पत्र क्र. 3 के माध्यम से राज्य शासन एतद् द्वारा विषयांकित प्रकरण में सशर्त प्रथम चरण स्वीकृति जारी की गई थी। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) के संदर्भित पत्र क्र. 4 में उक्त प्रथम चरण स्वीकृति में निहित शर्तो का पालन प्रतिवेदन प्रेषित कर राज्य शासन से सामान्य अनुमोदन के तहत् औपचारिक अनुमति का अनुरोध किया गया है।

विषयांकित प्रकरण में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) के संदर्भित पत्र क्र. 4 में प्रदायित पालन प्रतिवेदन के आधार पर तथा भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 16.10.2000, पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 08.04.2009, पत्र क्र./F No.-5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 एवं पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 15.06.2004 में निहित प्रावधानो के अंतर्गत विचारोपरांत राज्य शासन एतद् द्वारा निम्न तालिका में दर्शित विवरण अनुसार :–

तालिका

क्र.	जिला	प्रभावित वनमंडल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वन भूमि का प्रकार	वन कक्ष क्रमांक	लंबाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	क्षेत्रफल (हे. में)
1	धमतरी	धमतरी	केरेगांव	लहसुनवाही	आरक्षित वन	167	920	0.500	0.046
2			केरेगांव	लहसुनवाही	आरक्षित वन	166	1300	0.500	0.065
3			केरेगांव	बनरौद	आरक्षित वन	157	1040	0.500	0.052
4			केरेगांव	बनरौद	आरक्षित वन	163	1080	0.500	0.054
5			केरेगांव	बनरौद	आरक्षित वन	147	1440	0.500	0.072
6			केरेगांव	डोकाल	आरक्षित वन	106	600	0.500	0.030
7			केरेगांव	डोकाल	आरक्षित वन	107	1600	0.500	0.080
8			केरेगांव	डोकाल	आरक्षित वन	129	1580	0.500	0.079
9			केरेगांव	बरबांधा	आरक्षित वन	125	3440	0.500	0.172
10			केरेगांव	बरबांधा	आरक्षित वन	138	1360	0.500	0.068
11			केरेगांव	बरबांधा	आरक्षित वन	125A	380	0.500	0.019
12			केरेगांव	कुम्हड़ा	आरक्षित वन	136A	120	0.500	0.006
13			केरेगांव	मरदापोटी	आरक्षित वन	148	460	0.500	0.023
14			केरेगांव	मरदापोटी	आरक्षित वन	149	2980	0.500	0.149
15			केरेगांव	मरदापोटी	आरक्षित वन	148A	440	0.500	0.022
16			केरेगांव	माडमसिल्ली	आरक्षित वन	153	900	0.500	0.045
17			बिरगुडी	180 घोटगांव कोंगेरा	आरक्षित वन	459	740	0.500	0.037
18			बिरगुडी	180 घोटगांव कोंगेरा	आरक्षित वन	459 A	320	0.500	0.016

क्रमशः 2

क्र.	जिला	प्रभावित वनमंडल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वन भूमि का प्रकार	वन कक्ष क्रमांक	लंबाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	क्षेत्रफल (हे. में)
19	धमतरी	धमतरी	बिरगुडी	180 घोटगांव कोंगेरा	आरक्षित वन	458	640	0.500	0.032
20			बिरगुडी	180 घोटगांव कोंगेरा	आरक्षित वन	456	1420	0.500	0.071
21			बिरगुडी	180 घोटगांव कोंगेरा	आरक्षित वन	458A	840	0.500	0.042
22			बिरगुडी	180 घोटगांव कोंगेरा	आरक्षित वन	461	2840	0.500	0.142
23			बिरगुडी	180 घोटगांव कोंगेरा	आरक्षित वन	460	580	0.500	0.029
24			बिरगुडी	180 घोटगांव कोंगेरा	आरक्षित वन	470A	1520	0.500	0.076
25			बिरगुडी	180 घोटगांव कोंगेरा	आरक्षित वन	460A	440	0.500	0.022
26			बिरगुडी	उत्तर बोरई	आरक्षित वन	498	820	0.500	0.041
27			बिरगुडी	पूर्व बोरई	आरक्षित वन	497	640	0.500	0.032
28			सांकरा	176 चेलिकपोटियारी	आरक्षित वन	382	1000	0.500	0.050
29			उत्तर सिंगपुर	बेलरदोना	आरक्षित वन	47	580	0.500	0.029
30			दक्षिण सिंगपुर	168 पालवाड़ी	आरक्षित वन	80	1580	0.500	0.079
31			दक्षिण सिंगपुर	168 पालवाड़ी	आरक्षित वन	79	1280	0.500	0.064
32			दक्षिण सिंगपुर	168 पालवाड़ी	आरक्षित वन	91	3240	0.500	0.162
33			दक्षिण सिंगपुर	168 पालवाड़ी	आरक्षित वन	98	860	0.500	0.043
34			दक्षिण सिंगपुर	168 पालवाड़ी	आरक्षित वन	99	2140	0.500	0.107
35			दक्षिण सिंगपुर	168 पालवाड़ी	आरक्षित वन	105	1500	0.500	0.075
36			दक्षिण सिंगपुर	168 पालवाड़ी	आरक्षित वन	97	360	0.500	0.018
37			दक्षिण सिंगपुर	168 पालवाड़ी	आरक्षित वन	99A	520	0.500	0.026
38			दक्षिण सिंगपुर	168 पालवाड़ी	आरक्षित वन	104	1240	0.500	0.062
39			दक्षिण सिंगपुर	177 उमरादाह, आलसा	आरक्षित वन	76	1000	0.500	0.050
40			दक्षिण सिंगपुर	सिंगपुर	आरक्षित वन	78	3100	0.500	0.155
41			दक्षिण सिंगपुर	177 उमरादाह, आलसा	आरक्षित वन	77	2500	0.500	0.125
42			दुगली	177 उमरादाह, आलसा	आरक्षित वन	260	1440	0.500	0.072
43			दुगली	177 उमरादाह, आलसा	आरक्षित वन	258	1120	0.500	0.056
44			दुगली	177 उमरादाह, आलसा	आरक्षित वन	266A	1400	0.500	0.070
45			दुगली	169 पालगांव	आरक्षित वन	258A	340	0.500	0.017
46			दुगली	177 उमरादाह, आलसा	आरक्षित वन	259	860	0.500	0.043

क्र.	जिला	प्रभावित वनमंडल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वन भूमि का प्रकार	वन कक्ष क्रमांक	लंबाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	क्षेत्रफल (हे. में)
47	धमतरी	धमतरी	दुगली	177 उमरादाह, आलसा	आरक्षित वन	254	1100	0.500	0.055
48			दुगली	177 उमरादाह, आलसा	आरक्षित वन	267A	680	0.500	0.034
49			दुगली	177 उमरादाह, आलसा	आरक्षित वन	267	700	0.500	0.035
50			नगरी	175 बनपुरी	आरक्षित वन	274	1940	0.500	0.097
51			नगरी	175 बनपुरी	आरक्षित वन	274A	2020	0.500	0.101
52			नगरी	175 बनपुरी	आरक्षित वन	279A	1060	0.500	0.053
53			नगरी	175 बनपुरी	आरक्षित वन	279	240	0.500	0.012
54			नगरी	175 बनपुरी	आरक्षित वन	280	200	0.500	0.010
55			नगरी	176 चेलिकपोटियारी	आरक्षित वन	287	1320	0.500	0.066
56			नगरी	179 अछोटी दलदली	आरक्षित वन	300	1520	0.500	0.076
57			नगरी	176 चेलिकपोटियारी	आरक्षित वन	299	1220	0.500	0.061
58			नगरी	176 चेलिकपोटियारी	आरक्षित वन	298	620	0.500	0.031
आरक्षित वनभूमि का योग							**69120**	**0.50**	**3.456**
59			धमतरी	भोयना (उत्तर)	संरक्षित वन	P 168	700	0.500	0.035
60			केरेगांव	मोहलई	संरक्षित वन	P 162	780	0.500	0.039
61			केरेगांव	केरेगांव पश्चिम	संरक्षित वन	P 130	780	0.500	0.039
62			केरेगांव	कुमड़ा	संरक्षित वन	P 137	800	0.500	0.040
संरक्षित वनभूमि योग							**3060**	**0.50**	**0.153**

क्र.	जिला	प्रभावित वनमंडल का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प्रभावित वन भूमि का प्रकार	खसरा क्रमांक	लंबाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	धमतरी	धमतरी	धमतरी	भोयना	राजस्व वनभूमि	13	340	0.500	0.017
2			धमतरी	अछोटा	राजस्व वनभूमि	489	360	0.500	0.018
3			मगरलोड	राकाडीह	राजस्व वनभूमि	22	220	0.500	0.011
4			मगरलोड	राकाडीह	राजस्व वनभूमि	30	280	0.500	0.014
5			मगरलोड	राकाडीह	राजस्व वनभूमि	43/1	300	0.500	0.015
6			मगरलोड	राकाडीह	राजस्व वनभूमि	54	120	0.500	0.006
7			नगरी	बनरौद	राजस्व वनभूमि	262	40	0.500	0.002
8			नगरी	बनरौद	राजस्व वनभूमि	311	300	0.500	0.015
9			नगरी	कुकरेल	राजस्व वनभूमि	612	80	0.500	0.004
10			नगरी	कल्लेमेटा	राजस्व वनभूमि	9	120	0.500	0.006

क्रमशः 4

क्र.	जिला	प्रभावित वनमंडल का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प्रभावित वन भूमि का प्रकार	खसरा क्रमांक	लंबाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
11	धमतरी	धमतरी	नगरी	कल्लेमेटा	राजस्व वनभूमि	356	80	0.500	0.004
12			नगरी	माडमसिल्ली	राजस्व वनभूमि	77	100	0.500	0.005
13			नगरी	मूलगांव	राजस्व वनभूमि	417	160	0.500	0.008
14			नगरी	बिलभद्दर	राजस्व वनभूमि	460	140	0.500	0.007
15			नगरी	भितर्रास	राजस्व वनभूमि	1163/3	40	0.500	0.002
16			नगरी	भितर्रास	राजस्व वनभूमि	1163/1	60	0.500	0.003
17			नगरी	भितर्रास	राजस्व वनभूमि	1005	20	0.500	0.001
18			नगरी	छिपलीपारा	राजस्व वनभूमि	264/1	220	0.500	0.011
19			नगरी	सांकरा	राजस्व वनभूमि	3013	40	0.500	0.002
20			नगरी	सांकरा	राजस्व वनभूमि	3011	280	0.500	0.014
21			नगरी	देवपुर	राजस्व वनभूमि	214	180	0.500	0.009
22			नगरी	देवपुर	राजस्व वनभूमि	212	20	0.500	0.001
23			नगरी	नगरी	राजस्व वनभूमि	62	40	0.500	0.002
राजस्व वनभूमि योग							**3540**	**0.50**	**0.177**
कुल योग							**75720 (75.72 K.M.)**	**0.50**	**3.786**

उक्त 75.72 कि.मी. लंबे तथा 0.5 मीटर चौड़े वन क्षेत्र कुल 3.786 हे. वन भूमि (आरक्षित वन भूमि 3.456 हे. संरक्षित वन भूमि 0.153 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.177 हे.) में भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु मेसर्स महाप्रबंधक, जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर, छत्तीसगढ़ को वन भूमि उपयोग पर देने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन (Stage-II Approval) अंतिम चरण की स्वीकृति दी जाती है :–

1. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।

2. प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जायेगा तथा मार्ग परिवर्तित नही किया जायेगा।

3. ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु वृक्ष नहीं काटे जायेंगे।

4. उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु खन्ति की अधिकतम चौडाई 0.50 मीटर तथा गहराई 1.65 मीटर होगी। वन्यप्राणी तथा बायोडायवर्सिटी को नुकसान न पहुचें, इसे ध्यान में रखकर स्थानीय वनाधिकारी की निगरानी में खन्ति को खोदा तथा उपयोग उपरांत आवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर खन्ति को भरकर समतल किया जावेगा। यदि उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु Horizontal Directional Drilling method (HDD) पद्धति का उपयोग किया जाता है तो, उपयोग किये जाने वाली मशीन के परिवहन हेतु मौजूदा सड़क का उपयोग किया जायेगा तथा अन्य वन क्षेत्र का उपयोग प्रतिबंधित होगा। इस पद्धति के उपयोग में यह ध्यान रखा जाये कि वन क्षेत्र के फ्लोरा एवं फौना तथा Regeneration को क्षति न हो।

5. स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदनकर्ता द्वारा वनमंडलाधिकारी को पूर्व से सूचित किया जाएगा, ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हो सके तथा खोदे जा रही वनभूमि की क्षति को न्यूनतम रखा जा सके।

6. उपरोक्त लाईन, राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य प्राणी अभ्यारण्य के बाहर, सड़क के किनारे तथा मौजूदा सड़क की चौड़ाई कें अंतर्गत ही बिछाई जावेगी।

7. आवेदक संस्थान, उपयोग पश्चात, उपयोग किये गये भूमि का उपयोग/रखरखाव के खर्चे को वहन करने हेतु, वचनबद्ध रहेगा।

क्रमशः 5

8. आवेदक संस्थान, स्थानीय वन/पर्यावरण को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए वचनबद्ध रहेगा, अतः यथासंभव वन/पर्यावरण को संरक्षित रखेगा।

9. आवेदक संस्थान रखरखाव का कार्य करने के पूर्व वन विभाग से अनुमति प्राप्त करेगा।

10. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नही किया जायेगा।

11. प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन पर भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा प्रकरण को REC की बैठक दिनांक 19.05.2023 में विचारार्थ रखने के पश्चात् REC द्वारा दिये गये निर्देश जो भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र दिनांक 24.05.2023 के साथ संलग्न एजेण्डा क्र. 3 में वर्णित है। उक्त निर्देशों का पालन किया जायेगा।

12. वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व, पर्यावरणीय अनुमति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागू होने वाले समस्त नियमों, विनियमों एवं दिशा निर्देशों एवं शर्तो का पालन किया जाएगा।

13. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम 1980) द्वारा प्रतिमाह की 5 तारीख के पूर्व राज्य शासन से जारी समस्त सामान्य अनुमोदन के प्रकरणों की रिपोर्ट, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,रायपुर को प्रेषित करेंगे।

14. बिना भारत सरकार की अनुमति के वन भूमि का उपयोग बदलना, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलने की आवश्यकता हो, तो आवेदक संस्थान इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी तथा राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को निवेदन करेंगे।

15. क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (Flora & Fauna) तथा पर्यावरण के संरक्षण/विकास हेतु समय–समय पर राज्य शासन या भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा अधिरोपित अन्य किन्ही शर्तो के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा ।

उपरोक्त शर्तो में से किसी भी शर्त के उल्लंघन को वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लघंन मानकर कार्यवाही की जायेगी।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 उपरोक्त शर्तो का पालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

विविध-II
2017
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
छत्तीसगढ़, रायपुर

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
नवा रायपुर, छत्तीसगढ़
आवक क्र. ....
दिनांक ....

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार,

(के.एल.मांझी)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृष्ठां.क्रमांक/एफ 5–28/2022/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 11/07/2024

प्रतिलिपि :–

1. वनमहानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर छत्तीसगढ़।
3. मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर, छत्तीसगढ़।
4. वनमंडलाधिकारी, धमतरी वनमंडल, धमतरी छत्तीसगढ़।
5. आवेदनकर्ता, महाप्रबंधक, जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, चतुर्थ तल, अंबुजा मॉल,विधानसभा रोड, मोवा (सड्डू), रायपुर, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

11/07/24
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग